न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी ( अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ) जैसलमेर
( पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस )

मुकदमा संख्या :– 03/2019 RCMS NO- 2019/00006

| प्रार्थी | | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर | **बनाम** | 1. श्री हरचन्दसिंह पुत्र पोखरसिंह राजपुरोहित उम्र 43 वर्ष जाति राजपुरोहित मैसर्स हरीश किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर।<br>2. मैसर्स हरीश किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर।<br>3. मैसर्स गोविन्द एण्ड कम्पनी, गडीसर रोड, जैसलमेर।<br>4. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीनारायण धीरण, बिसानी पाडा, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) |

**(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 )**

उपस्थित :–

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री हरचन्दसिंह।
3. अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार।

:: **निर्णय** :: दिनांकः 04.01.2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.02.2018 को 11:00 एएम पर मैसर्स हरीश किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स हरीश किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री हरचन्दसिंह पुत्र पोखरसिंह राजपुरोहित कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नही होना बताया। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड को खादय प्रदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड लगभग 500–500 ग्राम की प्लास्टिक की थैली में नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 440 रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। विक्रेता ने उक्त माल खरीद का बिल दिखाया एवं प्रमाणित छाया प्रति मौके पर दी। प्रार्थी ने खरीद सुदा मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड के चार पॉली पैक के चार नमूने लिये प्रत्येक को गते के डिब्बे में पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर चिपकाए एवं लेबलों पर डीओं कोड एवं क्रमांक नम्बर एन–802 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और लेबलों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–802 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–802 मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को श्री अनिल वेष्णव, डीईओ के द्वारा दिनांक 19.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 16.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/7714–16 दिनांक 09.03.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./111/Act/2018/130 दिनांक 28.02.2018 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन–802 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री हरचन्दसिंह पुत्र पोखरसिंह राजपुरोहित उम्र 43 वर्ष जाति राजपुरोहित मैसर्स हरीश किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स हरीश किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) 3. मैसर्स गोविन्द एण्ड कम्पनी, गडीसर रोड, जैसलमेर 4. श्री महेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीनारायण धीरण, बिसानी पाडा, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) ने मिथ्याछाप मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 02.05.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया है कि श्रीयादे ब्राण्ड मिर्च पाउडर जो कि मिथ्याछाप पाया गया है जो कम्पनी रजिस्टर्ड ब्राण्ड है तथा बिल व वाउचर अप्रार्थी के पास है। यदि उक्त कम्पनी खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के मानक नियमों को पूरा नहीं करती हैं तो इसकी अप्रार्थीगण को जानकारी नही है और भविष्य में श्रीयादे ब्राण्ड मिर्च पाउडर द्वारा बेचे गये माल को न खरीदा जायेगा न ही बेचा जायेगा। अतः प्रकरण में नरम रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किए जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के द्वारा परिवाद के संबंध में दिनांक 22.12.2020 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर जबाब पेश कर निवेदन किया है कि दुकान मैसर्स हरीश किराना स्टोर, गॉधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर मे दिनांक 16.02.2018 को निरीक्षण किया गया जो निर्मित सामग्री मैसर्स गोविन्द एण्ड कम्पनी, गडीसर रोड, जैसलमेर द्वारा खरीद किया होना बताया गया है जो प्रार्थी द्वारा श्रीयादे फूड प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, नोखा जिला बीकानेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

द्वारा खरीद किया गया है। जिसमें मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड का खादय पदार्थ का सेम्पल लिया गया जो मिथ्याछाप पाया गया है। जो मेरे द्वारा श्रीयादे फूड प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, नोखा जिला बीकानेर द्वारा खरीदा गया है। सेम्पल का मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड का खादय पदार्थ का है। जो मिथ्याछाप पाया गया है। निर्मित सामग्री श्रीयादे फूड प्रोडेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, नोखा जिला बीकानेर से निर्मित है। जो निर्मित सामग्री में मेरे द्वारा कोई भी हैर फैर नही किया गया है। भविष्य में निर्मित सामग्री की उत्तम क्वालिटी रहे इस बात का पूरा ध्यान रखूगा। अतः प्रार्थी दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन बसर करता है। प्रार्थी की परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुऐं उक्त प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./111/Act/2018/130 दिनांक 28.02.2018 के अनुसार मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया हैं। वही अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थीगण अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर मिथ्याछाप स्तर के मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी श्री हरचन्दसिंह जो मैसर्स हरीश किराणा स्टोर गांधी कॉलोनी, जैसलमेर जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर व अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार जो मैसर्स गोविन्द एण्ड कम्पनी, गडीसर रोड, जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा मिथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु मिर्च पाउडर श्रीयादे ब्राण्ड विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 04 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 01 व 04 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर